न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्या :— 01/2016

मनीराम पुत्र डूंगरराम उम्र 59 वर्ष जाति कुम्हार निवासी किराडाबडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1—जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।
2—उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा।
3—महावीर पुत्र रूपचन्द जाति धानक निवासी किराडाबडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 01.03.2016 जिसके जरिये अपीलार्थी को उचित मूल्य की दुकान का लाईसेन्स निलम्बित किया गया को निरस्त करने हेतु अपील।

उपस्थितः—1.श्री राजीव कुलश्रेष्ठ वकील अपीलार्थी
2.श्री सोहल लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से
3.श्री खुशप्रीत सिंह वकील प्रत्यार्थी नं0 3

निर्णय

दिनांकः—08.03.2017

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को गांव किराडाबडा भादरा में एक उचित मूल्य की दुकान आवंटित की हुई है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 364/1994 है। अपीलार्थी द्वारा इस उचित मूल्य की दुकान को नियमानुसार संचालित किया जा रहा था एवं समस्त स्टॉक एवं रजिस्टर नियमित रूप से मेन्टेंन किये जा रहे थे परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपने आदेश

Copy - Not Original

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

दिनांक 01.03.2016 के जरिये अपीलार्थी के लाईसेन्स को निलम्बित कर दिया गया। अपीलार्थी इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिकार एवं नियंत्रण में ही कार्य किया जाता रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी के स्टॉक व रिकार्ड की कोई जांच मौका पर नही की गई। अपीलार्थी द्वारा समस्त रिकार्ड व राशन नियमानुसार संधारित किया जा रहा था। अपीलाधीन आदेश जारी करने के पश्चात अपीलार्थी की दुकान की जांच प्रवर्तन अधिकारी भादरा एवं अन्य राजस्व अधिकारियो द्वारा दिनांक 04.03.2016 को की गई। जांचकर्ता के भौतिक सत्यापन में अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान का रिकार्ड एवं राशन सही पाया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी भादरा को उचित मूल्य दुकान के संबंध में सुनने का अधिकार नही है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी के लाईसेन्स को पुनः बहाल करने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट नं0 3 ने अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान की सूचना उपखण्ड अधिकारी (रसद) भादरा से चाही गई। उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपीलार्थी को लिखित में प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आदेश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिये जाने पर उसके द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई और ना ही उपखण्ड अधिकारी भादरा कार्यालय में वांछित रिकार्ड उपलब्ध करवाया गया। अपीलार्थी द्वारा माह दिसम्बर 2015 से माह फरवरी, 2016 तक राशन सामग्री के उठाव एवं वितरण संबंधी मासिक मानचित्र उपखण्ड अधिकारी भादरा के कार्यालय में उपलब्ध नही करवाये गये। अपीलार्थी द्वारा वांछित रिकार्ड उपखण्ड अधिकारी भादरा को उपलब्ध नही करवा कर लापरवाही किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान का लाईसेन्स को निलम्बित करने के आदेश पारित किये गये जो विधि सम्मत है। अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

वकील प्रत्यर्थी (रेस्पोडेन्ट) नं0 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के सामग्री से संबंधित आंवटन रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर की सूचना उपखण्ड अधिकारी भादरा से चाही गई। उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना प्रत्यर्थी संख्या 3 को उपलब्ध करवाने हेतु आदेश दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपीलार्थी को वांछित अभिलेख उनके कार्यालय में उपलब्ध करवाने हेतु आदेश दिये गये। अपीलार्थी द्वारा ना तो प्रत्यर्थी संख्या 3 को सूचना उपलब्ध करवाई गई और ना ही उपखण्ड अधिकारी भादरा को वांछित अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध नही करवाना इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य की सामग्री के वितरण में गंभीर अनियमितताऐ की गई। इसलिए उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया है जो विधि सम्मत है। अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे। वकील रेस्पोडेन्ट नं0 3 ने अपने कथनो के समर्थन में

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

आरआरडी 1995 पेज 109 व आरआरडी–14.12.2010 पेज 790 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का सःसम्मान अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के वकील ने दोराने बहस यह कथन किया कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान की जांच प्रवर्तन अधिकारी भादरा एवं अन्य राजस्व अधिकारियो द्वारा किये जाने पर अपीलार्थी के दुकान का रिकार्ड एवं राशन सही पाया गया। उपखण्ड अधिकारी (रसद) भादरा द्वारा अपीलार्थी को लिखित में प्रार्थी (प्रत्यार्थी नं0 3) को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आदेश दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रत्यार्थी नं0 3 को उपलब्ध नही करवाना और ना ही उपखण्ड अधिकारी भादरा को वांछित रिकार्ड उपलब्ध करवाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा एस.ओ. 162 दिनांक 17.1.2012 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 और 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया है जो न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख उपखण्ड अधिकारी भादरा को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 08.3.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़
जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official